कार्यालय, निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा– मा / छाप्रोप्र / सी-1/बजट घोषणा-155.0.0 / 2018-19 दिनांक – 16-07-18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम

विषय : सामान्य संवर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मेधावी विद्यार्थीयों हेतु प्रोत्साहन योजना 2018-19 के प्रस्तावों को अविलम्ब भिजवाने बाबत |

प्रसंग : इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 11.07.2018 के क्रम में |

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको यह निर्देशित किया गया था कि आपके जिले की सामान्य संवर्ग की मेधावी विद्यार्थीयों की बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूची में से योजना की शर्तों को पूर्ण करने वाले पात्र विद्यार्थीयों की सूची 20.07.2017 तक इस कार्यालय की ईमेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर भिजवायी जानी है | इसी क्रम में योजनान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप मय विस्तृत दिशा-निर्देश ज़ारी किया गया है जो कि इस पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित किया जा रहा है |

गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में वरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले सामान्य संवर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के मेधावी पात्र विद्यार्थीयों की संख्या निम्नानुसार होगी –

क्रं.सं	कक्षा	परीक्षा का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	10th	माध्यमिक परीक्षा	98
2	10th	प्रवेशिका परीक्षा	02
3	12th	उच्च माध्यमिक कला वर्ग	98
4	12th	उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग	98
5	12th	उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग	98
6	12th	वरिष्ठ उपाध्याय	06
		योग	400

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही विद्यार्थीयों से आवेदन प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें

सलंग्न – उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

16-7-18

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थीयों हेतु प्रोत्साहन योजना

<table>
<tr><td>योजना का नाम</td><td>आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना</td></tr>
<tr><td>योजना</td><td>राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं एवं बारहवी की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग (वाणिज्य, विज्ञान, कला) की घोषित मेरिट में प्रथम 100 विद्यार्थियों को एकमुश्त 15000/- रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जायेंगे |</td></tr>
<tr><td>पात्रता</td><td>
1. विद्यार्थी आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से होना चाहिए |
2. विद्यार्थी के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 2,50,000/- (दो लाख पचास हज़ार रुपये) से कम हो |
3. मध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे |
4. अंतिम वरीयता अंक पर एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी में अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पात्र होगा | यदि इन दोनों विषयों में भी अंक सामान होते है तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र होगा |
5. माननीय मुख्यमंत्री की वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 के अंतर्गत पात्र छात्राएं जिन्होंने एकमुश्त 15000/- रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाने का विकल्प दिया है तो छात्राएं बजट घोषणा 155.0.0 तथा वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा संख्या 133.02.0 (आर्थिक पिछड़ा सामान्य वर्ग की मेधावी छात्राओं हेतु स्कूटी योजना) में से किसी एक योजना के चयन का विकल्प दे सकेगी |
6. योजना अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं (यथा- साईकल / ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं लैपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) का लाभ भी देय होगा |
7. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में वरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थीयों की संख्या निम्नानुसार होगी –
<table>
<tr><th>क्रं.सं</th><th>कक्षा</th><th>परीक्षा का नाम</th><th>विद्यार्थियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>10th</td><td>माध्यमिक परीक्षा</td><td>98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10th</td><td>प्रवेशिका परीक्षा</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>12th</td><td>उच्च माध्यमिक कला वर्ग</td><td>98</td></tr>
<tr><td>4</td><td>12th</td><td>उच्च माध्यमिक विज्ञान वर्ग</td><td>98</td></tr>
<tr><td>5</td><td>12th</td><td>उच्च माध्यमिक वाणिज्य वर्ग</td><td>98</td></tr>
<tr><td>6</td><td>12th</td><td>वरिष्ठ उपाध्याय</td><td>06</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>योग</td><td>400</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>देय लाभ</td><td>योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाले समस्त पात्र विद्यार्थीयों को एकमुश्त 15000/- रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे |
पात्र विद्यार्थीयों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थीयों के बैंक खाते में दी जाएगी |</td></tr>
</table>

www.rajteachers.com

आवेदन-पत्र

(आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15000/- रुपये की प्रोत्साहन योजना का आवेदन-पत्र)

1. विद्यार्थी का नाम – ____________________
2. विद्यार्थी के पिता का नाम – ____________________
3. जन्मतिथि – ____________________
4. जाति – ____________________
   (सक्षम अधिकारी द्वारा ज़ारी सामान्य वर्ग का प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति सलंग्न करें)
5. मूल निवास का पता – ____________________
   ____
   जिला- __________ मोबाइल नंबर – ____________
6. माता / पिता / अभिभावक का व्यवसाय व वार्षिक आय – ____________
   (मूल आय प्रमाण-पत्र सलंग्न करें जो 6 माह से अधिक पुराना न हो तथा सकल वार्षिक आय 2,50,000/- से कम हो)
7. क्या छात्रा द्वारा बजट घोषणा संख्या 133.02 के अंतर्गत स्कूटी प्राप्त करने का विकल्प दिया है- हाँ / नहीं
   (उक्त विकल्प नहीं देने की स्थिति में बजट घोषणा 155.0.0 के तहत एकमुश्त राशि 15000/- एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने हेतु स्व-हस्ताक्षरित शपथ-पत्र सलंग्न करें)
8. परीक्षा से सम्बन्धी विवरण –

कक्षा / संकाय का नाम	परीक्षा वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	अनिवार्य अंग्रेजी प्राप्तांक	अनिवार्य हिंदी प्राप्तांक	राजकीय / निजी विद्यालय का नाम जहाँ अध्ययन किया
कक्षा–10	2017-18					
प्रवेशिका	2017-18					
उच्च माध्यमिक कला	2017-18					
उच्च माध्यमिक विज्ञान	2017-18					
उच्च माध्यमिक वाणिज्य	2017-18					
वरिष्ठ उपाध्याय	2017-18					

9. बैंक अकाउंट का विवरण –

खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC कोड

www.rajteachers.com

प्रमाण-पत्र

मैं ________________ (विद्यार्थी का नाम) प्रमाणित करता/करती हूँ कि बिंदु संख्या 01 से 09 तक अंकित की गयी समस्त सूचनाएँ पूर्णतः सत्य है। यदि प्रस्तुत की गयी कोई भी सूचना/तथ्य असत्य पाए गए तो मैं प्रोत्साहन राशि वापस राजकोष में जमा करवाने का वचन देता/देती हूँ।
दिनांक -

अभिभावक के हस्ताक्षर | विद्यार्थी के हस्ताक्षर

सलंग्नक –

1. उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण-पत्र व अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा ज़ारी सामान्य वर्ग के प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
3. विद्यार्थी के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र।
4. विद्यार्थी के बैंक पास बुक की छाया-प्रति।

अभिभावक के हस्ताक्षर | विद्यार्थी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-अ

-----राजकीय व निजी विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ज़ारी प्रमाण-पत्र--------

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र / छात्रा ________________ पुत्र/पुत्री ________________ ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में शाला के अभिलेख अनुसार कक्षा _____ में अध्ययनरत रहकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर कुल प्राप्तांक ______ प्रतिशत _____ प्राप्त किये है व उक्त विद्यार्थी सामान्य वर्ग का है।

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर शाला / संस्था प्रधान
मय सील

5—

राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक–प. 1(3)शिक्षा–1/2017

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राज0 बीकानेर।

जयपुर, दिनांक 16/10/

विषय–मा. मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017–18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना के दिशा–निर्देश बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मा. मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017–18 की बजट घोषणा संख्या 155.0.0 की क्रियान्विति अन्तर्गत "राज्य के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी छात्र–छात्राऐं जिनकी समस्त स्त्रोतों से पारिवारिक आय 2 लाख 50 हजार रूपये वार्षिक से कम है" जिनके लिए प्रोत्साहन योजना के दिशा–निर्देश संलग्न कर लेख है कि योजना की क्रियान्विति हेतु पृथक से बजट मद खुलवाया जाकर आवश्यक राशि के लिए बजट प्रावधान कराने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम स्वरूप झालानी)
शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव आयोजना, (जनशक्ति) विभाग
5. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2, 6) विभाग।
8. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ.राजवीर सिंह)
उपनिदेशक (मूल्यां.)

www.rajteachers.com

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना

1– योजना का नाम – आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों हेतु प्रोत्साहन योजना

2– योजना – राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग (विज्ञान, वाणिज्य, कला) की घोषित मेरिट में प्रथम 100 छात्र–छात्राओं को एकमुश्त 15 हजार रूपये और प्रशस्ति पत्र दिये जायेगें।

3– पात्रता

i. विद्यार्थी आर्थिक पिछड़े सामान्य वर्ग से होना चाहिए।
ii. विद्यार्थी के माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 250000/– (दो लाख पचास हजार रू) से कम हो।
iii. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे।
iv. अन्तिम वरीयता अंक पर एक से अधिक विद्यार्थी होने की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पात्र होगा। यदि इन दोनों विषयों में भी अंक समान होते है तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र होगा।
v. माननीया मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155.04 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली 100 छात्राओं को स्कूटी वितरण की भी घोषणा किए जाने के फलस्वरूप बजट घोषणा संख्या 155.00 में तथा 155.04 में से मेधावी छात्राओं को दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ देय होगा।
vi. योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को अन्य योजनाओं (यथा–साईकिल/ट्रांसपोर्ट वाउचर एवं लेपटॉप आदि योजनाओं में पात्र होने पर) का लाभ भी देय होगा।
vii. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं, बारहवीं एवं प्रवेशिका तथा वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में घोषित परिणाम में वरीयतानुसार स्थान प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार होगी :–

(अ) कक्षा दसवीं के पात्र विद्यार्थी :

क्र.स.	परीक्षा का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	माध्यमिक परीक्षा	98
2	प्रवेशिका परीक्षा	02
	कुल	100

(ब) कक्षा बारहवीं के पात्र विद्यार्थी :

क्र.स.	परीक्षा का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	विज्ञान संवर्ग के	98
2	वाणिज्य संवर्ग के	98
3	कला संवर्ग के	98
4	वरिष्ठ उपाध्याय	06
	कुल	300

4– देय लाभ – योजना के तहत वरीयता सूची में आने वाले समस्त पात्र विद्यार्थियों को एक मुश्त रूपये 15000 एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जावेगें।
पात्र विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थियों के बैंक खाते में दी जावेगी।

\\10.68.52.174\dixit\SANJEEV\Scooty F1(8)edu\ 17-18 (155).docx

www.rajteachers.com